न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 37 / 2018

1. श्रीमती नन्दू पत्नी सुगना।
2. श्री रामलाल पुत्र सुगना।
3. श्री ओमप्रकाश पुत्र सुगना।
4. श्री लालचन्द पुत्र सुगना।
   समस्त जातिगण तेली, निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री कृष्ण स्वरूप पुत्र रामस्वरूप।
2. श्री राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप।
3. श्री रामगोपाल पुत्र गणेश।
4. श्री छीतर पुत्र गणेश।
5. श्री रामदेव पुत्र गणेश।
   समस्त जातिगण तेली, निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
6. श्री श्रवण लाल पुत्र गोपाल।
7. श्रीमती गोपी पत्नी हीरा।
   समस्त जातिगण गिरी (गुसाई),निवासीगण अजगरी, हाल निवासी बिसलपुर कॉलोनी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़।

— अप्रार्थीगण

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री शिवप्रसाद पाराशर, प्रार्थी।
2. श्री सूर्यकांत दाधीच, अप्रार्थी।

निर्णय दिनांक 23.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र के खसरा नं. (नया–पुराना) 610 – 425 / 1 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम अजगरी तहसील सरवाड़ में स्थित है। जो प्रार्थीगण के पिता की खरीदशुदा होकर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। वर्णित आराजी में आने–जाने का रास्ता केकड़ी ओर से खसरा नं. (नया–पुराना) 603 व 601 – 418 में से होता हुआ खसरा नं. (नया–पुराना) 600 – 534 / 422 की उत्तरी मेड व खसरा नं. (नया–पुराना) 602 व 599– 421 की दक्षिणी मेड के मध्य होकर कदीम से आता जाता रहा है तथा प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपनी आराजी पर आते–जाते रहे है। अतः प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर आने–जाने का अन्य कोई रास्ता या विकल्प नहीं है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी जानिब उत्तर–पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 की आराजी खसरा नं. (नया–पुराना) 599 – 421 स्थित है व जानिब पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण 6 लगायत 7 ने खसरा नं. 534 / 522 (पुराने) व इसके लगवा उतरी तरफ खसरा नं. 602 पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थीगण के आने–जाने के रास्ते को रोक दिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने अपनी आराजी खसरा नं. (नया–पुराना) 599 – 421 में 4 हिस्से कर दिये है लेकिन वर्णित आराजी के चारो तरफ व खसरा नं. 599 के जानिब पूर्वी तरफ सरकारी खसरा नं. 602 पर नाजायज कब्जा कर, प्रार्थीगण के आने–जाने वाले रास्ते को अवरूद्ध कर चारो ओर सीमेन्ट के पिल्लर लगाकर तारो की फैनसिंग कर दी है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजी में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यह कि प्रार्थीगण ने अपनी आराजी खसरा नं. (नया–पुराना) 610 – 425 / 1 में आने–जाने वाले उक्त रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने से मना किया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 ने कोई

Scanned by CamScanner

सुनवाई नहीं की तथा रास्ते के अवरोध को हटाने पर लडाई–झगडा करने पर उतारू हो गये। प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने वाले रास्ते पर अवरोध को नहीं हटाया गया तो प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी को काश्त नहीं कर पायेगें। जिससे अजहद क्षति होगी।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 7 की ओर से न्यायालय में हाजिर होने के उपरांत भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं तहसीलदार सरवाड़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन एवं विधिक मनन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम अजगरी की जमाबंदी संवत् 2069–2088 के खाता सं. 219 में ख. नं. 603 व 601 में से होता हुआ ख. नं. 600 की उत्तरी मेड व ख. नं. 602 व 599 की दक्षिणी मेड के मध्य होकर कदीमी रास्ता आता जाता रहा है। मौके की स्थिति के अनुसार अजगरी की सरहद व ग्राम केकडी जाने वाले रास्ते से ग्राम अजगरी के सिवायचक ख. नं. 603 व 602 में से होकर ख. नं. 600 खातेदार अमरी बेवा जगन्नाथ व रामेश्वर पि. जगन्नाथ कौम जाट के खातेदारी भूमि मे से होकर गुजरता है। जो ख. नं. 610 प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि तक जाता है। उक्त ख. नं. में जाने का अन्यत्र कोई रास्ता राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार नहीं है। ख. नं. 599 रकबा 2.99 हैक्ट. किस्म बा.1 का नामान्तकरण सं. 955 दिनांक 19.08.2016 से आपसी सहमति से बंटवारा होकर ख. नं. 599 के 5 टुकड़े हुये जिसमें से ख. नं. 599/5 रकबा 0.07 हैक्ट. का खातेदार कृष्णस्वरूप, राजेश कुमार, पि. रामस्वरूप, रामगोपाल, छीतरमल, रामदेव पि. गणेश तेली सा. केकड़ी के नाम खातेदार दर्ज है। जो सिवायचक ख. नं. 602 के सन्निकट है। ख. नं. 602 में उपरोक्त खातेदार कृषकों के द्वारा फॉर्म पौण्ड बनाकर तारबंदी करके अतिक्रमण कर रखा है एवं ख. नं. 603 में अन्य ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसकी धारा 91 की कार्यवाही तहसील सरवाड़ में विचाराधीन है। प्रार्थीयां के खातेदारी ख. नं. 610 में जाने का कोई रास्ता नहीं है। केवल मात्र 602 की दक्षिणी मेड एवं 600 की उत्तरी पश्चिमी मेड के सहारे सहारे तथा ख. नं. 603 के मध्य से होकर गुजरने वाला कदीमी रास्ता था जिसे ख. नं. 599 के खातेदारों द्वारा बंद कर दिया गया है।

वकील बहस सुनी गयी एवं बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र ख. न 602 एवं 603 के लिए स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सरवाड़ को मौके पर ख. नं. 602 सरकारी भूमि की दक्षिणी मेड पर 152 गुणा 8 फीट यानि 1216 वर्गमीटर व ख.न. 603 के मध्य सरकारी भूमि में से 55 गुणा 8 यानि 440 वर्गमीटर भूमि की कीमत डीएलसी दर की दुगुनी राशि वादी के द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्तानुसार रास्ता का रिकॉर्ड व राजस्व नक्शें में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सरवाड़ उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चत करे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.01.28 16:31:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: